न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),जोधपुर
पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या– 46/2024
जी.सी.एम.एस– 2024/62

अपीलार्थीगण:–

1. दुर्जन सिंह पुत्र श्री विजे सिंह
2. जेठू सिंह पुत्र श्री विजे सिंह जातियान राजपूत, निवासीयान– ग्राम गडा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थी गण:–

1. शैतान सिंह पुत्र श्री भूर सिंह के कायम मुकाम–
   1/1. सूरज कंवर पत्नी स्व. श्री शैतान सिंह
   1/2. हनुमान सिंह पुत्र स्व. श्री शैतान सिंह
   1/3. तेज सिंह पुत्र स्व. श्री शैतान सिंह
   1/4. रूप सिंह पुत्र स्व. श्री शैतान सिंह
   1/5. नारायण सिंह पुत्र स्व. श्री शैतान सिंह
   1/6. दीप सिंह पुत्र स्व. श्री शैतान सिंह सभी जातियान राजपूत निवासीयान ग्राम गडा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
   1/7. पप्पू कंवर पत्नी हरी सिंह भाटी पुत्री स्व. श्री शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी भाटीयों की ढाणी, कमठाई, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर।
   1/8. मीमा कंवर पत्नी हडवंत सिंह भाटी पुत्री स्व. श्री शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी भाटीयों की ढाणी, कमठाई, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर।
   1/9. मटु कंवर पत्नी भगवान सिंह इंदा पुत्री स्व. श्री शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी राता भाखर, बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. मूल सिंह पुत्र श्री भूर सिंह जातियान राजपूत, निवासीगण ग्राम गडा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश क्रमांक [illegible]/91/601 दिनांक 06.08.1991 जो तहसीलदार [illegible] पारित किया गया, जिसके आधार पर नामांकरण संख्या [illegible] स्वीकृत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः–

1.अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह बावरला, श्री रमेश भादू (अपीलार्थीपक्ष की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री पारसमल सोनी, श्री जेठाराम सैन (प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से)

आदेश **दिनांक 17.03.2025**

01. यह अपील अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत, तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/91/681 दिनांक 06.08.1991 के विरूद्ध, जिसके आधार पर नामांतरकरण संख्या–381 स्वीकृत किया है, दिनांक 12.10.2018 को इस न्यायालय में पेश की गई है।

02. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये तथा तहसीलदार शेरगढ से प्रकरण से संबंधित अभिलेख मंगवाया गया।

03. प्रत्यर्थी संख्या 1 के विधिक वारिसान व 02 की ओर श्री पारसमल सोनी एवं श्री जेठाराम सेन ने वकालतनामा पेश किया।

04. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गडा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर का खेत खसरा संख्या 375 रकबा 6.5 बीघा, खसरा नं. 406 रकबा 2 बीघा, खसरा नं. 592 रकबा 91.5 बीघा, खसरा नं. 653 रकबा 147.10 बीघा व खसरा नं. 591 रकबा 4 बिस्वा कुल रकबा 247.5 बीघा श्री गुलाब सिंह के नाम खातेदारी में थी। श्री गुलाब सिंह के तीन लडके श्री नग सिंह, पन्ने सिंह व भूर सिंह है। पन्ने सिंह लाऔलाद फौत हो चुके है तथा नग सिंह भी फौत हो चके है, जिसका लडका विजे सिंह है। इस प्रकार उक्त आराजी में खातेदार विजे सिंह व भूर सिंह का हिस्सा 1/2–1/2 है। परंतु भूर सिंह ने विजे सिंह की बिना स्वतंत्र सहमति के, तहसीलदार शेरगढ के कार्यालय से आराजी का बंटवाडा करवा लिया, जिसमें 2/3 हिस्सा की भूमि भूर सिंह ने अपने नाम दर्ज करवा ली तथा विजेसिंह के नाम सिर्फ 1/3 हिस्सा आराजी बंटवाडा में दर्ज करवा ली, जबकि विजे सिंह ने बंटवारनामा पर सहमति के रूप में कभी [illegible] तहसील कार्यालय में गया ही नहीं। इन फर्जी हस्ताक्षर से बं[illegible] अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.1991 जारी करवाकर रिकॉर्ड [illegible] लिये है, जो कानूनी प्रावधानों के वि[illegible] है, जबकि मौके पर विजे सिंह व भूर सिंह के वारिसान 1/2–1/2 हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested

है। नामांतरकरण स्वीकार करते समय भी विजे सिंह को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 से 135 तक के प्रावधानों की पालना नहीं की है।

अपीलांट्स का यह भी कथन है कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार कुल आराजी को दोनों को बराबर हिस्सों में बांटना था। बंटवाडा में पक्षों को रकबे में इतना अधिक अंतर नहीं हो सकता। विजे सिंह को रिकॉर्ड की जानकारी नहीं हुई तथा बाद में विजेसिंह व भूर सिंह दोनों का देहांत हो गया। अपीलांट्स को भी बंटवारा की जानकारी नहीं हुई।

हाल ही में पटवारी से नकले लेने पर गलत बंटवारा की जानकारी हुई। अतः अपील को अंदर म्याद सुमार माना जाकर बंटवारा आदेश दिनांक 06.08.1991 तथा उसके आधार पर पारित नामांतरकरण संख्या 381 को निरस्त कर प्रकरण में विधि अनुसार पुनः बंटवारा किया जावे।

05. अपीलांट्स ने अपील मीमो के साथ, अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 मय शपथपत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में लिखा है कि आदेश दिनांक 06.08.1991 तथा नामांतरकरण की जानकारी अपीलांट्स के पिता को नहीं थी क्योंकि उन्होने बंटवारा पर कोई सहमति नहीं दी तथा न ही हस्ताक्षर किये थे। हाल में ही अपीलांट्स को नकलों की आवश्यकता होने पर पटवारी हल्का से संपर्क किया, जब आदेश व नामांतरकरण की जानकारी हुई। इस पर दिनांक 04.09.18 को आदेश की नकल लेने हेतु आवेदन किया, जो कि दिनांक 26.09.2018 को प्राप्त हुई तब अपीलांट को संपूर्ण जानकारी हुई इससे पूर्व किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी, जिसका पर्याप्त कारण है। इस प्रकार जानकारी के आधार पर अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की जा रही है जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जावे।

06. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का, रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया गया तथा जवाब के समर्थन में शपथपत्र भी पेश किया है। जवाब में कथन किये है कि अपीलांट्स के पिता को पूरी जानकारी थी। बंटवारा पत्र पर अपीलांट्स के पिता का अंगूठा निशान है तथा रेस्पोंडेंट्स के पिता को हिस्सा दिया था। इसके अतिरिक्त अपीलांट्स ने खसरा नं. 593 बाबत एक वाद, उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़ के समक्ष पेश किया जिसमें उन्होने अपना कब्जा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा 22 बीघा ही बताया है तो 1/2 हिस्सा पर कब्जा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उक्त वाद दिनांक 28.08.2018 को पेश किया था। इनका यह भी कहना है कि उक्त के अतिरिक्त अपीलांट्स ने ग्राम सेवा सहकारी समिति, शेरगढ से दोनों ने अलग– अलग ऋण राशि इन खसरों पर उठाई जिसमें अपीलांट्स ने अपना हिस्सा 1/3 में से 1/2 बताया। इस प्रकार अपीलांट्स को जानकारी थी। अपीलांट्स ने झूठे कथन किये है। अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। जवाब के साथ उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के न्यायालय में दर्ज प्रार्थना पत्र संख्या 18/2018 की दिनांक 28.08.2018 तथा 28.09.2018 की आदेशिका की नकल, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट दिनांक 28.08.2018 की प्रति भी पेश की।

07. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक श्री रमेश भादू ने अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के दादा श्री नगसिंह ने कभी भी बंटवारानामा पर अंगूठा नहीं किया है। नगसिंह, भूरसिंह व पन्नेसिंह तीनों सगे भाई, गुलाब सिंह की संतान थे। पन्नेसिंह लाऔलाद गुजर गए। भूर सिंह ने पन्ने सिंह के हिस्से की भूमि हड़पने की नियत से तहसीलदार से मिलावट कर गुलाब सिंह की कुल भूमि में 2/3 हिस्सा अपने पक्ष में करवा लिया तथा कागजों पर नग सिंह का फर्जी अंगूठा किया है तथा बंटवारा आदेश दिनांक 06.08.1991 जारी करवाकर, नामांतरकरण संख्या 381 स्वीकृत करवाकर, रिकॉर्ड अपने नाम 2/3 हिस्सा तथा नग सिंह को केवल 1/3 हिस्सा भूमि दी गई है, जो कानूनी रूप से गलत है। पन्ने सिंह की जमीन में नगसिंह का भी 1/2 हिस्सा कानूनी रूप से होता है। पन्नेसिंह ने कभी भी अपना हिस्सा, भूरसिंह के पक्ष में नहीं त्यागा है। इस पूरे फर्जीवाड़ा की जानकारी हमे दिनांक 04.08.18 से कुछ समय पहले हुई। दिनांक 26.09.18 को नकल लेकर दिनांक 12.10.2018 को अपील पेश की है, इसे अंदर म्याद माना जावे। देरी सद्भाविक है तथा रेस्पोन्डेंट्स ने इस बाबत जो [illegible] किया है, उसमें भी उपखण्ड अधिकारी न्याया[illegible] प्रार्थना पत्र दि[illegible] 28.08.2018 पेश होना बताया है, जो दिनांक 04.09.18 [illegible] मात्र 5 दिन पूर्व की तिथि है। सोसायटी से लोन किसी तारीख को लिया तथा [illegible] दस्तावेज पेश किये। इसका कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested

उल्लेख जवाब में नहीं है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है तथा अपील को मेरिट पर निर्णित कर पूर्ण न्याय किय जावे।

08. उपर्युक्त के विपरीत, रेस्पोंडेंट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री जेठाराम सेन ने बहस में कथन किया कि अपील में अंकित खसरा नं. 375 रकबा 6.5 बीघा अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट्स का नहीं है। किसी दिगर व्यक्ति का है। कुल आराजी 247.50 बीघा नहीं है। पन्नेसिंह लाऔलाद फौत हुआ, किन्तु वह भूरसिंह के साथ ही रहता था तथा विजेसिंह ने भी जीवनकाल में सहमति दी थी कि पन्नेसिंह का हिस्सा भूरसिंह को मिलेगा तथा पन्नेसिंह की मृत्यु पर रीति रिवाज अनुसार समस्त रस्में, भूरसिंह द्वारा अदा की जाएगी तथा सारा खर्चा भूरसिंह ही वहन करेगा तथा भूरसिंह ने ही उक्त कार्य किये तथा इसी कारण सहमति से नगसिंह ने अपीलाधीन बंटवारानामा पर तहसील में उपस्थित होकर तहसीलदार के समक्ष हस्ताक्षर किये तथा उसी अनुसार आदेश जारी हुए है, जिसकी जानकारी अपीलांट्स को भली भांति थी। पन्नेसिंह का सारा खर्चा, भूरसिंह से करवाकर अब, पन्नेसिंह की भूमि में से 30 वर्ष बाद हिस्सा मांग रहे है, जो गलत है। अपीलांट्स को उक्त बंटवारा की जानकारी सहकारी समिति से लोन लेने हेतु ली गई जमाबंदी नकल से तथा फार्म में अंकित भूमि विवरण के कॉलम में अंकित अनुसार पूरी जानकारी थी।

इसके अतिरिक्त अपीलांट दुर्जनसिंह व जेठूसिंह ने अपने हिस्से की भूमि में से जमीन का बेचान भी किया है। अतः अपीलाधीन नामांतरकरण की उन्हे भली भांति जानकारी थी। शेरगढ उपखण्ड न्यायालय में बंटवारा का दावा भी किया था, जो खारिज हो गया।

इसी प्रकार खसरा नं. 592 में से निकाली गई सडक के मामले में भी प्रकरण उपखण्ड न्यायालय में चला। उक्त तमाम तथ्यों से साबित है कि अपीलांट्स को आदेश दिनांक 06.08.1991 की भली भांति से पूर्व से ही जानकारी थी परंतु रेस्पोंडेंट्स को नाजायज हेरान, तंग, परेशान करने की नियत से यह अपील तीस साल बाद पेश की है, जो स्पष्टतः म्याद बाहर होने म्याद के बिंदु पर ही ख[illegible] है। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested

09. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन कर अवलोकन किया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर गहनता से मनन किया।

a. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त पैरा 4 में वर्णित विवरण की भूमि वाके ग्राम गड़ा तहसील शेरगढ के ख.नं. 375, 406, 592, 653 व 591 कुल रकबा 247.5 बीघा खातेदार श्री गुलाबसिंह के नाम दर्ज थी। गुलाबसिंह के फौत होने पर उक्त आराजी गुलाबसिंह के जायंदा तीनों पुत्र नगसिंह, पन्नेसिंह व भूरसिंह के नाम दर्ज हुई, जो उक्त ग्राम की जमाबंदी संवत् 2044—2047 के खाता संख्या 242 से स्पष्ट है। पन्नेसिंह के लाऔलाद फौत होने पर नामांतरकरण संख्या 267 दिनांक 05.01.89 से उक्त समस्त आराजी पन्नेसिंह के सगे भाई—सह खातेदार नगसिंह व भूरसिंह के नाम दर्ज की है।

b. उक्त खसरा नंबरान की 247.05 बीघा भूमि का आपसी सहमति से विभाजन जरिये इकरारनामा करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र मय विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.03.1991 को तहसीलदार, शेरगढ के समक्ष पेश हुआ, जिसे स्वीकार कर तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/91/681—682 दिनांक 06.08.1991 को 4.5 माह बाद जारी किया तथा दिनांक 06.08.1991 को ही अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 381 पटवारी द्वारा खोला गया तथा 06.08.1991 को ही तहसीलदार ने स्वीकृत किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील श्री विजेसिंह के वारिश अपीलांट ने 18 वर्ष के बाद दिनांक 12.10.2018 को इस न्यायालय में इस आधार पर पेश की है कि विजेसिंह ने बंटवारानामा के किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किये है तथा कुल आराजी 247—05 बीघा में विजेसिंह का 1/2 हिस्सा होता है, परंतु भूरसिंह ने अपने नाम 2/3 हिस्सा दर्ज करवा ली तथा विजेसिंह को सिर्फ 1/3 हिस्सा हीं दिया है, जो कानूनी रूप से गलत है। इस विवादास्पद बंटवारा की जानकारी अपीलांट को दिनांक 04.09.2018 से कुछ समय पहले हुई थी तथा 04.09.2018 को पटवारी से रिकॉर्ड की जानकारी लेकर [illegible] की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 26.09.2018 को [illegible] पेश है। अपील के साथ देरी को कन्डोन करने हेतु [illegible] अधिनियम के तहत प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested

पत्र व शपथपत्र पेश किया जिसमें अंकित कथनों एवं प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनों का पूर्व में उल्लेख कर दिया गया है।

c. चूंकि यह अपील दिनांक 06.08.1991 के आदेश के विरूद्ध दिनांक 12.10.2018 को करीब 27 वर्ष की देरी से पेश की गई है तथा इस लंबी अवधि के दौरान राजस्व अभिलेखों में तथा भूमि की मौका स्थिति में सारभूत परिवर्तन होना स्वाभाविक है तथा कई व्यक्तियों के पक्ष में नए अधिकार, हित, स्वत्वों, आधिपत्यों का सृजन होने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः विधि प्रावधान अनुसार अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का सर्वप्रथम विनिश्चिय किया जाना न्यायालय का कर्तव्य है तथा उसके पश्चात् ही अपील पर गुणावगुण पर विचार करना उचित होगा।

प्रकरण में बंटवारा आदेश व नामांतरकरण सं. 381 दिनांक 06.08.1991 को पारित हुए है। अपीलांट्स ने यह अपील 27 साल बाद दिनांक 12.10.2018 को इस न्यायालय में पेश की है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र में लिखा है कि कुछ समय पूर्व इन आदेशों की जानकारी होने पर दिनांक 04.09.2018 को पटवारी हल्का से संपर्क कर नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 26.09.2018 को नकले प्राप्त होने पर दिनाक 12.10.2018 को अपील पेश की है इससे पहले अपीलाधीन आदेशों की उन्हे कोई जानकारी ही नहीं दी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण अपीलांट्स ने देरी क्षम्य करने के लिए प्रार्थना पत्र में नहीं लिखा है। अपीलांट्स के उक्त कथनों का जवाब मय शपथ पत्र पेश कर रेस्पोंडेंट्स ने खण्डन किया है तथा अपीलांट के कथनों को झूठा करार दिया है तथा अपने कथनों के समर्थन में उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के न्यायालय में धारा 212, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, आदेशिका दिनांक 28.08.2018 तथा दिनांक 28.09.2018 की प्रमाणित प्रतियां पेश की है जिसमें कथन है कि [illegible] नंबर 592 का 8–10 वर्ष पहले बंटवारा हो चुका है [illegible] साथ ही बंटवारा का नक्शा भी पेश किया है तथा अप्रार्थी के नाम दर्ज खसरा नं. 592/1 रकबा 69–06 बीघा भूमि को स्थगन से मुक्त किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त के अतिरिक्त अपीलांट ने ग्राम सेवा सहकारी समिति, शेरगढ से लोन लिया है जिसमें अपने हिस्से की 17.15 बीघा–17.15 बीघा भूमि का अंकन किया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने अपने बंट की कुछ भूमि का बेचान भी किया है।

उक्त अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स को दिनांक 04.09.2018 से पहले ही विवादित बंटवारा व नामांतरकरण दिनांक 06.08.1991 की जानकारी थी तथा अपीलांट द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में किया कथन "कुछ समय पहले जानकारी होने पर दिनांक 04.09.2018 को पटवारी से संपर्क कर नकल बाबत आवेदन करने" का कथन झूठा है तथा अस्पष्ट है। "कुछ समय पहले" से अपीलांट्स का क्या आशय है? अपीलांट्स ने कृत्रिम रूप से काल्पनिक तरीके से तिथि का चयन किया है।

d. प्रकरण में आक्षेपित आदेश दिनांक 06.08.1991 बहुत पुराना होने से हमने प्रकरण से संबंधित आराजी का वर्तमान राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया, ताकि अपीलांट्स को आक्षेपित आदेश दिनांक 06.08.1991 की जानकारी थी या नहीं, इस तथ्य की ओर जांच की जा सके। अभिलेखीय स्थिति निम्नानुसार पाई गईः–

i. आक्षेपित आदेश दिनांक 06.08.1991 की पालना में नामांतरकरण संख्या 381 दिनांक 06.08.1991 से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया तथा नक्शे में नए खसरों का सृजन कर तरमीम की गई। इसके बाद खसरा नं. 657 रकबा 57–12 बीघा (9.3240 हैक्टर) में से 7.6081 हैक्टर भूमि हस्तांतरित की है, जिसका अंकन ग्राम गडा की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 109 पर खसरा नं. 652/2 के रूप में खातेदार सुमेर कंवर पत्नी सगत सिंह, गुलाब सिंह पुत्र भूरसिंह, मनोहर सिंह, प्रेम सिंह पुत्र सगत सिंह तथा ओमकंवर, छेलूकंवर, सुप्यारकवंर पुत्री सगतसिंह के नाम दर्ज है, परंतु अपीलांट्स ने इस सारभूत तथ्य को छुपाते हुए उक्त खातेदारों को आवश्यक पक्षकार [illegible] संयोजित किये बिना ही यह अपील पेश की है।

ii. इसी प्रकार खसरा नं. 592/2 रकबा 0.1457 हैक्टर भूमि वर्तमान में सरकार के खाते में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested

iii.इसी प्रकार खसरा नं. 592/6 रकबा 0.1619 हैक्टर ग्राम पंचायत गडा के नाम खाता संख्या 115 में दर्ज है, परंतु ग्राम पंचायत को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है।

iv. इसी प्रकार खसरा नं. 406/1, 395, 653/1 की भूमि खाता संख्या 311 पर मूलसिंह पुत्र भूर सिंह के नाम दर्ज है।

v. खसरा नं. 592/1 की भूमि खाता नं. 361 में हनुमान सिंह के नाम दर्ज है।

vi. इसी प्रकार खसरा नं. 592/3 की भूमि खाता संख्या 267 में नारायण सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह के नाम दर्ज है।

vii. खसरा नं. 592/4 खाता संख्या–250 में दीपसिंह पुत्र शैतान सिंह के नाम दर्ज है। खसरा नं. 592/5 खाता संख्या 355 में सूरज कंवर पत्नी श्री शैतान सिंह के नाम दर्ज है।

viii. खसरा नं. 592/7 की भूमि खाता संख्या 237 में तेज सिंह पुत्र शैतान सिंह के नाम दर्ज है।

ix. खसरा नं. 653/3 की भूमि खाता संख्या 325 में रूपसिंह पुत्र शैतान सिंह के नाम दर्ज है।

x. उक्त अभिलेखीय स्थिति से स्पष्ट है कि विवादित बंटवारा के जरिये भूरसिंह को आवंटित 164–14 बीघा भूमि का भी बंटवारा भूरसिंह के वारिसान के मध्य में हो चुका है तथा तद्नुसार रिकॉर्ड संधारित हो चुका है, परंतु अपीलांट ने इस बंटवारा आदेश को आक्षेपित नहीं किया है तथा खाता संख्या 109 व 115 के खातेदारों को आवश्यक पक्षकार जानबूझकर नहीं बनाया है, जबकि इन तथ्यों की उन्हें भली भांति जानकारी थी तथा अपीलांट्स स्वच्छ हाथों से इस न्यायालय में नहीं आए है।

e. <u>In Union of India & Anv. V. Jahangir Byramji Jeejeebhoy (D)</u> through his LR 2024 INSC262 : 2024 SCC online SC 489, the Hon'ble Supreme court as held that it could not look in to the merits of the matter as long as it is not convinced that sufficient cause has been made out for condonation of long and inordinate delay. Length of delay is a relevant matter which court must take in to

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: Self-Attested

consideration while considering whether delay should be condoned or not, from the tenor of the approach of the appellants, it appears that they want to fix their own period of limitation for instituting the proceedings for which law has prescribed a period of limitation; once it is held that party has lost his right to have matter considered on merits because of long inaction, it cannot be presumed to be non-deliberate delay and in such circumstances, he cannot be heard to plead that the substantial justice deserves to be preferred as against the technical considerations. It was reiterated while considering plea for condonation of delay, court must not start with the merits of the case and the court owes a duty to first ascertain bonafides of the explaination offered by the party seeking condonation. It declared that delay should not be excused as a matter of generosity.

This was also reiterated in State of Madhya Pradesh V/S Rajkumar Choudhary, S.L.P.(C) Diary No. 48636/2024 Dated 29-11-2024.

In H. Guruswamy & Ors. V. A. Krishnaiah, Civil Appeal No. 317/2025, निर्णय दिनांक 08.01.2025 में भी उक्तानुसार व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित की है:– We are of the view that the question of limitation is not merely a technical consideration. The rules of limitation are based on sound public policy and principles of equity. No court should keep the 'sword of damocles' hand over the head of a litigant for an indefinite period of time.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested

The rules of limitation are not meant to destroy the rights of the parties. They are meant to see that the parties do not resort to dilatory tacties but seek their remedies promptly. The length of delay is definitely a relevant matter, which the court should must taken into consideration while considering whether the delay should be condoned or not. From the tenor of the approach of the respondents herein it appears that they want to fix their own period of limitation for the purpose of instituting proceedings, for which laws has prescribed a period of limitation. once it is held that a party has lost his right to have the matter consideration matter on merits, because of his own inaction for a long, it cannot be presumed to be non-deliberate delay, and in such circumstances of the case, he cannot be heard to plead the substantial justice deserves to be prefered as against the technical consideration. while considering the plea for condonation of delay, the court must not start with the merits of the main matter. The court owes a duty to first ascertain the bonafides of the explanation offered by the party seeking condonation. It is only if the sufficient caused assigned by the litigant and the opposition of the other side is equally balanced that the court may bring into aid of merits of the matter for the purpose of condonation of delay." It has further observed that " Time and again, the Supreme Court has reminded the district judiciary as well as high courts that concepts such as " Substantial approach" "justice oriented approach" "Substantial Justice" should not be employed to frustrate or jettision the substantial law of Limitation.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 1[illegible]:53:37 IST
Reason: SelfAttested

f. चूंकि इस प्रकरण के पूर्व वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित की गई न्यायिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि अपीलांट्स ने इस अपील को पेश करने में हुई 27 वर्ष की देरी को संतोषजनक व समुचित कारणों से साबित नहीं किया है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित कारण, देरी को क्षम्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा देरी को क्षम्य करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 को सारहीन व बलहीन होने से खारिज किया जाता है।

10. चूंकि म्याद अधिनियम की धारा 3 में प्रावधानों के अनुसार, अपीलांट न्यायालय को सर्वप्रथम म्याद का बिंदु तय करना आवश्यक है तथा इस प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को म्याद बाहर पेश होना निर्धारित किया जा चुका है। फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत इस अपील को गुणावगुण के आधार पर नहीं सुना जा सकता। अतएव अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने योग्य होने से अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार शेरगढ को पुनः लौटाया जावे। पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल शुमार होकर दाखित दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:37 IST
Reason: SelfAttested